



### न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अपील प्रकरण क्रमांक /2017 जिला-होशंगाबाद

PBA अपील होशंगाबाद/आ.अ/2017/6139 मेसर्स सोम डिस्टलरीज प्रायवेट लिमिटेड, सेहतगंज, जिला-रायसेन (म.प्र.) ..... अपीलार्थी

#### विरुद्ध

श्री. व्य.म.एस.एस. उर्फ  
15.12.17 को  
प्रस्तुत प्रारंभिक तर्क हेतु  
दिनांक 4.1.18 नियत।

[Signature]  
क्लर्क ऑफ कोर्ट  
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

- 1- आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर
- 2- उपायुक्त आबकारी संभागीय उडनदस्ता भोपाल
- 3- सहायक आबकारी आयुक्त जिला होशंगाबाद
- 4- जिला आबकारी अधिकारी मेसर्स सोम डिस्टलरीज प्रायवेट लिमिटेड, सेहतगंज, जिला-रायसेन  
..... प्रत्यर्थागण

न्यायालय/कार्यालय आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश ग्वालियर द्वारा पृष्ठांकन क्रमांक 5(1)/2017-18/3160 में पारित आदेश दिनांक 19.06.2017 के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 62 के अन्तर्गत बने अपील रिवीजन तथा रिब्यू नियमों के पैरा (2) सी के अन्तर्गत अपील।



[Signature]

[Signature]

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/अपील/होशंगाबाद/आ0अ0/17/6139

स्थान दिनांक	तथा	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अगिमाषकों आदि के हस्ताक्षर
3.1.2018		<p>उभयपक्ष अधिवक्ताओं द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी आबकारी आयुक्त के आदेश दिनांक 19-6-17 के विरुद्ध दिनांक 15-12-17 को पेश की गई है, जो प्रथमदृष्टया ही अवधि बाह्य है । विलम्ब के संबंध में उनके द्वारा यह कहा गया है कि आलोच्य आदेश दिनांक 19-6-2017 की सूचना उन्हें 29-11-17 को दी गई थी, परन्तु अपने उक्त तर्क के समर्थन में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है । ऐसी स्थिति में यह अपील समय बाह्य होने से अग्राह्य की जाती है ।</p>	<p> अध्यक्ष </p>